प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बागपत।

सेवा में,

उप निदेशक,
जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक,
पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

पत्रांकः– 1208 /जि0पं0बागपत/2024–25 दिनांकः– 11/12/2024

महोदय,

शासन द्वारा समस्त जिला पंचायतों से उनके यहां लागू/प्रभावी लाईसेंस उपविधियों की सत्यापित सूची चाही गयी है।

उक्त के क्रम में जिला पंचायत, बागपत में लागू/प्रभावी लाईसेंस उपविधियों की सत्यापित सूची पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बागपत।

Scanned with OKEN Scanner

3--ये उपविधियां सभी वर्तमान एवं आगामी समय में स्थापित एवं संचालित होने वाले सभी कारखानों, व्यवसाय, दुकानों, संग्रह केन्द्रों एवं संस्थाओं आदि पर प्रभावी होंगी, तथा उन्हें नियंत्रित एवं विनियमित करेंगी।

4--इन उपविधियों के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेंगी। ये उपविधियां शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होंगी।

5--"शक्ति" का अर्थ कारखाना अधिनियम, 1948 (यथा संशोधित) में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा।

6--"औषधि भेषज" का वही अर्थ होगा जो ड्रग्स अधिनियम, 1940 की धारा 3-बी में औषधि भेषज का है।

7--"विषद भेषज" का तात्पर्य उस भेषज से है, जिसको ड्रग्स अधिनियम, 1940 (यथा संशोधित) के अधीन ऐसा घोषित किया गया है।

8--"पेट्रोलियम पदार्थ" का तात्पर्य वही होगा, जो पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (यथा संशोधित) के अनुसार है।

9--"चीनी मिल" का वही अर्थ होगा जो उ0 प्र0 चीनी नियंत्रण अधिनियम, 1933 की धारा 3 के क्रमशः खंड जे0बी0 में परिभाषित है।

10--"कारखाना" का अर्थ ऐसे अहाता अथवा तत्सम्बन्धी उसकी पूरी सीमाओं की भूमि से है, जिसके किसी भाग में किसी वस्तु की उत्पादन क्रिया में साधारणतया "शक्ति" का प्रयोग किया जाता है।

11--"व्यवसाय दुकानात" का तात्पर्य ऐसे विक्रय केन्द्रों से है, जो ऐसे स्थान, दुकान का अहाता तत्सम्बन्धी उसकी पूरी सीमाओं तक की भूमि से है, जिसके किसी भाग में किसी वस्तु का क्रय-विक्रय किया जाता है।

12--"संग्रह केन्द्रों" का अर्थ ऐसे अहाते, भवन व तत्सम्बन्धी उनकी पूरी सीमाओं की भूमि से है जिसके किसी भाग में किसी वस्तु का संग्रह क्रिया सम्बन्धी रीति से साधारणतया किया जाता है।

13--"संस्थाओं" का तात्पर्य ऐसे भवन तथा उसकी तत्सम्बन्धी भूमि से है, जिसके किसी भाग का व्यावसायिक रूप में प्रयोग किया जाता है।

14--कोई भी व्यक्ति, कम्पनी पार्टनरशिप फर्म या अन्य संस्था आदि जनपद बागपत के ग्रामीण क्षेत्र में कारखाना, व्यवसाय दुकान, संग्रह केन्द्र व संस्थाओं आदि की स्थापना एवं संचालन तब तक नहीं करेगा जब तक उसके द्वारा जिला पंचायत, बागपत से अनुज्ञा-पत्र प्राप्त न कर लिया हो।

15--इन उपविधियों के प्रयोजन हेतु अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बागपत लाइसेंस अधिकारी होंगे। उनको अधिकार होगा कि वह यह कार्य, कार्य अधिकारी को सौंप सकते हैं।

16--"स्वामी" का अर्थ मालिक, भागीदार, निदेशक एवं प्रबन्धक तथा उस व्यक्ति से है, जो कारखाना, व्यवसाय दुकानात, संग्रह केन्द्र व संस्थाओं आदि की देख-रेख कर रहा हो।

17--लाइसेंस अधिकारी को अधिकार होगा कि वह इन उपविधियों के अन्तर्गत किसी भी धारा का आंशिक या पूर्ण उल्लंघन करने की दशा में अनुज्ञा-पत्र निलम्बित अथवा निरस्त कर दे।

18--लाइसेंस अधिकारी के आदेश के विरुद्ध 15 दिन के अन्दर अध्यक्ष, जिला पंचायत, बागपत को अपील की जा सकेगी। अध्यक्ष, जिला पंचायत, बागपत का निर्णय अन्तिम होगा।

19--लाइसेंस की अवधि 1 अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक होगी। यदि अनुज्ञा-पत्र कालावधि में जारी किया गया है, तो भी उसकी अवधि आगामी 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी।

20--अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र का रूप-पत्र कार्यालय से 10.00 रु0 मूल्य पर प्राप्त किया जा सकेगा।

21--कारखाना, व्यवसाय दुकानात, संग्रह केन्द्र एवं संस्थाओं आदि के प्रारम्भिक कार्य करने के एक माह पूर्व आवेदन-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। नवीनीकरण की दशा में अनुज्ञा-पत्र की तिथि समाप्त होने के कम से कम 15 दिन पूर्व आगामी वर्ष हेतु अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।

22--1 अप्रैल से 30 जून तक अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा, इसके उपरान्त 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक निर्धारित लाइसेन्स शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क देय होगा, इसके उपरान्त अनुज्ञा-पत्र प्राप्त न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय धारा 240 के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की जायेगी।

23--कारखाना, व्यवसाय दुकानात, संग्रह केन्द्रों एवं संस्थाओं आदि की इकाई के मालिक/स्वामी यदि लाइसेंस अधिकारी आदेशों/निर्देशों का पालन न करें तो उनके विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अधीन कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

सत्यापित

(सुभाष चन्द)
प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत, बागपत

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

24--कारखाना, व्यवसाय दुकान, संग्रह केन्द्र व संस्थाओं आदि के स्थल का निरीक्षण शासन के स्वास्थ्य विभाग के जिले में तैनात स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला पंचायत, बागपत के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी या जिला पंचायत, बागपत के किसी भी अधिकृत कर्मचारी द्वारा किया जायेगा, तथा मालिक/स्वामी उक्त अधिकारियों को निरीक्षण की पूरी-पूरी सुविधा देंगे।

25--कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नहीं देंगे जो असत्य हो तथा इन उपविधियों से सम्बन्धित कोई भी सूचना अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी या जिला पंचायत का कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति उक्त कार्य के लिये की गई हो, मांगे तो इंकार नहीं करेगा।

26--18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति तथा किसी संक्रामक या घृणास्पद रोगी को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

27--जिला पंचायत, बागपत के संतोषानुकूल सम्बन्धित इकाई को सभी समय स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद व ठीक-ठाक मरम्मत में रखनी होगी।

28--कारखाने की चिमनी पड़ोस की सबसे ऊंची इमारत से 15 फिट से कम ऊंचाई की नहीं होनी चाहिये।

29--कारखाने में शोरगुल रोकने हेतु ध्वनि रोधक यन्त्र लगाने होंगे।

30--कारखाने से निकलने वाले प्रदूषित पानी अथवा किसी गन्दे क्षोभकर अथवा हानि पदार्थ के किसी नदी तालाब या जल सम्भरण के अन्य स्रोत या उसके किसी ऐसे निर्दिष्ट भाग में जिसका पानी पीने या स्नान करने के प्रयोजनों के उपयोग में लाया जाता हो, नहीं डाला जायेगा। कारखाना स्वामी को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित ऐसे यंत्र लगाने अनिवार्य होंगे, जिससे स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद पानी कारखाने के बाहर निकले तथा पानी निकासी हेतु पक्की नालियां बनानी होंगी।

31--औषधि भेषजों को रखने, उनके विक्रय करने एवं औषधि योजन, विनियमन तत्समय संशोधित, अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन होंगे, तथा नियत अवधि समाप्त होने के पश्चात् उनका विक्रय नहीं किया जायेगा।

32--यदि कोई औषधि भेषज पदार्थ अनुपयुक्त हो तो लाइसेंस अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उसका अधिग्रहण कर सकता है या उसको नष्ट करवा सकता है, की बिक्री के लिये प्रदर्शित या उपयोग में न लाया जा सके।

33--यदि समुचित रूप से सन्देह हो जाये कि किसी भेषज में अपमिश्रण किया गया है अथवा नियत अवधि समाप्त हो जाने अथवा जलवायु के प्रभाव के कारण अस्वास्थ्यकर हो गया है तो लाइसेंस अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी उसके लिये एक रसीद देकर उसे हटा सकता है, और उसको मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है, यदि मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित हो जाये कि भेषज अस्वास्थ्यकर हो गया है तो वह उसको नष्ट करने का आदेश दे सकता है और यदि यह प्रकट हो जाये कि उसमें कोई अपराध किया गया है तो वह उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज करने की कार्यवाही कर सकता है।

34--बिक्री के लिए वस्तुओं की सफाई का आवश्यक प्रबन्ध किया जायेगा।

35--पेट्रोलियम, डीजल के संग्रह टैंकों का पूरा पक्का फर्श बनवाना होगा।

36--इन उपविधियों की धारा 31, 32, 33 की कार्यवाही तब तक सम्पादित नहीं की जायेगी जब तक कि लाइसेंस अधिकारी द्वारा अनुज्ञा-पत्र जारी न कर दिया गया हो।

37--इन उपविधियों की एक प्रति लाइसेंसधारी को निःशुल्क दी जायेगी, जिसे वह कारखाना, व्यवसाय दुकान, संग्रह केन्द्र व संस्था के प्रमुख भाग पर लगाकर प्रदर्शित करेगा।

38--कारखाना, व्यवसाय दुकान, संग्रह केन्द्र व संस्थाओं आदि के स्वामी को एक निरीक्षण पंजिका रखनी अनिवार्य होगी, जो क्षेत्रीय कर निरीक्षक से अभिप्रमाणित होगी तथा निरीक्षण के समय अधिकारियों, कर्मचारियों के मांगने पर उक्त पंजिका प्रस्तुत करनी होगी, जिससे निरीक्षणकर्ता अपनी निरीक्षण टीप उक्त पंजिका पर अंकित कर सकें एवं अनुज्ञा-पत्र नवीनीकरण के समय लाइसेंस अधिकारी निरीक्षण टीपों का भली-भांति अध्ययनोपरांत ही नवीनीकरण सम्बन्धी कार्यवाही करेगा।

39--विक्रय केन्द्रों पर मूल्य सूची एवं स्टाक सूची का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा, उक्त बोर्ड का परिमाप 1 मीटर लम्बा एवं 1/2 मीटर चौड़ाई से कम नहीं होगा।

40--कारखाना, संग्रह केन्द्रों व संस्थाओं आदि पर शौचालयों की आवश्यकतानुसार उचित व्यवस्था करनी होगी।

41--इन उपविधियों के अन्तर्गत निर्धारित लाइसेंस शुल्क की देनदारी यदि किसी व्यक्ति पर किसी वर्ष या पूर्वगामी वर्षों का देय है तो उसकी वसूली अधिनियम के चैप्टर 8 की धारा 147 से 160 के प्राविधानानुसार यथास्थिति की जायेगी।

42--विक्रय केन्द्रों पर बांट तथा माप विभाग से प्रमाणित माप तौल के उपकरण रखने होंगे।

43--कूड़े तथा खाद के गड्ढों के 50 मीटर के अन्दर कोई भी व्यवसाय दुकान आदि नहीं खोली जायेगी।

सत्यापित

(सुभाष चन्द)
प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत, बागपत

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

44--जिला पंचायत बागपत, जनपद बागपत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कारखानों, व्यवसाय दुकानों, संग्रह केन्द्रों एवं संस्थाओं के लिये निम्नलिखित सुविधायें सुलभ करायेगी--

(i) जिला पंचायत की अभियन्ता, अवर अभियन्ता की तकनीकी सेवायें निःशुल्क प्रदान की जायेंगी।

(ii) जिला पंचायत के चिकित्सालयों में फैक्ट्री आदि में काम करने वाले श्रमिकों की स्वास्थ्य परीक्षा एवं काम के योग्य होने का प्रमाण-पत्र एवं चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) यदि कोई कारखाना, मालिक, स्थायी-अस्थायी चिकित्सालय रखकर अपने कारखाने, व्यवसाय दुकान, संग्रह केन्द्र व संस्थाओं आदि में ही चिकित्सालय चलाना चाहेगा तो जिला पंचायत या क्षेत्रीय चिकित्साधिकारी निर्धारित अवधि के लिये प्रतिदिन निःशुल्क परामर्श एवं चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध रखेगा।

(iv) जिला पंचायत, बागपत की सड़क के समीप स्थापित कारखाना, व्यवसाय, दुकानात, केन्द्रों व संस्थाओं आदि को ध्यान में रखते हुए उक्त सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जायेगी।

45--कारखानों, व्यवसाय, दुकानों, संग्रह केन्द्रों एवं संस्थाओं आदि को अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार प्रतिवर्ष लाइसेंस शुल्क/नवीनीकरण शुल्क देय होगा :

क्र० सं०	मद का नाम	वर्तमान दर
1	2	3
1	चीनी मिल	20000.00
2	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	3000.00
3	क्रेशर नान हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	2500.00
4	क्रेशर नान हाईड्रोलिक नान सल्फीटेशन	1000.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	200.00
6	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	500.00
7	हस्त चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	150.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाईजर	200.00
9	आटा चक्की	150.00
10	धान कूटने की मशीन	200.00
11	धान कूटने का मिनी शैलर	1000.00
12	धान कूटने की मिल (राईस सेलर)	2000.00
13	तेल निकालने का कोल्हू	250.00
14	एक्सपैलर	400.00
15	रुई अथवा ऊन धुनने की मशीन	100.00
16	आरा मशीन	1000.00
17	खराद मशीन	700.00
18	वर्मा मशीन	300.00
19	वेल्डिंग मशीन	300.00
20	सेपर मशीन	300.00
21	हवा मशीन	150.00
22	रंगाईं मशीन	250.00
23	पावरलूम (प्रत्येक)	800.00

सत्यापित

(सुभाष चन्द)
प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत, बागपत

Scanned with OKEN Scanner

	2	3
		रु०
		3000.00
24	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	7000.00
25	सरिया बनाने का कारखाना	3000.00
26	लोहा गलाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	2000.00
27	बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)	3000.00
28	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	500.00
29	आईसक्रीम बनाने का कारखाना	2000.00
30	गत्ता बनाने का कारखाना (छोटा)	5000.00
31	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	3000.00
32	पेपरकोन का कारखाना	3000.00
33	पेपर रोल बनाने का कारखाना	6000.00
34	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता तक)	10000.00
35	कोल्ड स्टोर	7000.00
36	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	10000.00
37	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	15000.00
38	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	5000.00
39	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	5000.00
40	चिलिंग प्लान्ट	10000.00
41	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2" मोटाई तक)	20000.00
42	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाना (2" मोटाई से अधिक)	3000.00
43	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	5000.00
44	फल सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग तक)	8000.00
45	फल सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग से अधिक क्षमता में)	4000.00
46	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	1200.00
47	पत्थर या ईंट की रोड़ी या सुर्खी बनाने का कारखाना	4000.00
48	हॉटमिक्स प्लांट	1000.00
49	रबड़ की वस्तुएं बनाने का कारखाना	1000.00
50	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का छोटा कारखाना	4000.00
51	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का बड़ा कारखाना	5000.00
52	मसाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना (रीफ्रैक्टरी)	5000.00
53	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशे, तांबे व टीन आदि से वस्तुएं बनाने का कारखाना	5000.00
54	वनस्पति/देशी घी या रिफाइण्ड आयल बनाने का कारखाना	25000.00
55	शराब स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	2500.00
56	कृषि सम्बन्धी यंत्र बनाने का कारखाना	5000.00
57	फर्टीलाईजर्स या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	

सत्यापित

(सुभाष चन्द)

प्रशासनिक अधिकारी

जिला पंचायत, बागपत

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

1	2	3 रु०
58	खाण्डसारी उद्योग का यंत्र बनाने का कारखाना	3000.00
59	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	2100.00
60	प्लास्टिक का पाईप, टैंक आदि बनाने का कारखाना	4000.00
61	कोयले की राख से नाई प्रोडक्ट या टिकली बनाने का कारखाना	600.00
62	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	2000.00
63	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	1500.00
64	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बड़ा)	3000.00
65	मनके, फिटकरी या कलमी शोरा बनाने का कारखाना	800.00
66	सीमेंट बनाने का कारखाना	4000.00
67	पेलोर मिल	4000.00
68	दाल मिल	2000.00
69	रिइनफोर्स्ड, सीमेंट व कंक्रीट आदि से ह्यूम पाईप बनाने का कारखाना	5000.00
70	टेलीविजन बनाने का कारखाना	4000.00
71	माचिस बनाने का कारखाना	3000.00
72	बटन बनाने का कारखाना	3000.00
73	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	2500.00
74	विनियर एण्ड सॉमिल	3000.00
75	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना	10000.00
76	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	3000.00
77	शॉफ्ट बनाने का कारखाना	3000.00
78	प्लाईवुड या माईका बनाने का कारखाना	4000.00
79	दवाई बनाने का कारखाना	3000.00
80	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	1200.00
81	[illegible] का कारखाना	3000.00
82	दूध पैकेजिंग का कारखाना	3000.00
83	कैमिकल्स बनाने का कारखाना	5000.00
84	डबल रोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	3000.00
85	गैस आदि बनाने का कारखाना	3000.00
86	गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना	3000.00
87	[illegible] बनाने का कारखाना	4000.00
88	पीतल की चादरें बनाने का कारखाना	4000.00
89	सिलाई करने का कारखाना	4000.00
90	स्टील अलमारी, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना	4000.00
91	पशु आहार बनाने का कारखाना	3000.00
92	धागा बनाने का कारखाना	3000.00

सत्यापित

(सुभाष चन्द)
प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत, बागपत

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

1	2	3
		रु०
93	धागा डबलिंग का कारखाना	3000.00
94	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	5000.00
95	साबुन बनाने का कारखाना	1000.00
96	डिटर्जेन्ट बनाने का कारखाना	1000.00
97	पटरा बनाने का कारखाना	2000.00
98	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	4000.00
99	सूत या डोरी का सामान बनाने का कारखाना	1000.00
100	[illegible] बनाने का कारखाना	7000.00
101	कागज का सामान बनाने का कारखाना	1000.00
102	[illegible]	3000.00
103	तिरपाल बनाने का कारखाना	4000.00
104	आतिशबाजी सम्बन्धी सामान बनाने का कारखाना	4000.00
105	ग्रीस, मोबिल ऑयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	3000.00
106	चार पहिया वाहन बनाने का कारखाना	25000.00
107	दो पहिया वाहन बनाने का कारखाना	10000.00
108	तार [illegible] का कारखाना	5000.00
109	तार की जाली बनाने का कारखाना	2000.00
110	लालटेन बनाने का कारखाना	3000.00
111	[illegible] बनाने का कारखाना	3000.00
112	बैट्री बनाने का कारखाना	3000.00
113	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	3000.00
114	रंग बनाने का कारखाना	4000.00
115	गम टेप बनाने का कारखाना	3000.00
116	आयुर्वेदिक औषधि बनाने का कारखाना	4000.00
117	निकिल पालिश (प्लेटिंग) करने का कारखाना	3000.00
118	रांगा गलाने का कारखाना	3000.00
119	गैस चूल्हा या इसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	4000.00
120	दाल मिल	7000.00
121	आरा मिल	4000.00
122	पेट्रोल पम्प	3000.00
123	डीजल पम्प	3000.00
124	गैस बाटलिंग प्लांट	15000.00
125	सादा या आयोडाइज्ड नमक बनाने का कारखाना	1000.00
126	प्रिंटिंग प्रेस या ऑफसेट प्रेस	1000.00
127	सिनेमा हाल	3000.00

सत्यापित

(सुभाष चन्द)
प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत, बागपत

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

1	2	3
		रु0
	[illegible]	3100.00
128	इस्पात के अतिरिक्त कोई अन्य कारखाने (कुटीर उद्योग)	1500.00
129	इस्पात के अतिरिक्त कोई अन्य कारखाने (लघु उद्योग)	4000.00
130	इस्पात के अतिरिक्त कोई अन्य कारखाने (भारी उद्योग)	10000.00
131	अन्य [illegible] जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते	5000.00
132	[illegible]	300.00
133	कपड़े की दुकान	200.00
134	[illegible] की दुकान	200.00
135	[illegible] की दुकान	400.00
136	खिलौने की दुकान	400.00
137	मिठाई बनाने की दुकान	400.00
138	बर्तनों की दुकान	400.00
139	हलवाई [illegible] की दुकान	100.00
140	[illegible] पान बीड़ी सिगरेट की दुकान	400.00
141	[illegible] की दुकानें	500.00
142	[illegible]	600.00
143	[illegible] की दुकान	400.00
144	[illegible] की दुकान	250.00
145	[illegible] की दुकान	400.00
146	ब्यूटी पार्लर	400.00
147	[illegible] आदि की दुकानें	400.00
148	[illegible] की दुकान	400.00
149	हकीम, वैद्य या डाक्टरों की दुकान	300.00
150	[illegible]	300.00
151	जूते की दुकान	500.00
152	[illegible] की दुकान	400.00
153	अनाज खल चूरी दाने की दुकान (10 कुन्तल सामान तक)	500.00
154	अनाज खल चूरी दाने की दुकान (10 कुन्तल सामान से अधिक)	400.00
155	इमारती लोहे के सामान की दुकान (छोटी)	300.00
156	इमारती लोहे के सामान की दुकान (बड़ी)	500.00
157	इमारती लकड़ी की दुकान	500.00
158	स्वर्णकार/सोने चांदी की आभूषण की दुकान	400.00
159	कृषि सम्बन्धी मशीनरी की दुकान	100.00
160	साईकिल मरम्मत की दुकान	400.00
161	मोबिलऑयल/मिट्टी तेल या चिकनाई की दुकान	200.00
162	फोटोकॉपी/फोटो स्टूडियो की दुकान	

सत्यापित

(सुभाष चन्द)
प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत, बागपत

Scanned with OKEN Scanner

	2	3
		रु०
163	सीमेन्ट या खाद की दुकान	500.00
164	कीटनाशक दवाइयों की दुकान	400.00
165	नल, ट्यूबवेल आदि की बोरिंग करना	500.00
166	इंजन, ट्रैक्टर, मशीनरी आदि मरम्मत करना	200.00
167	चटाई, मूढ़े आदि बनाना या बेचना	200.00
168	बीज की दुकान	400.00
169	कोयले का डिपो	1000.00
170	टेन्ट, क्राकरी आदि की दुकान	500.00
171	फर्नीचर की दुकान	500.00
172	बैण्ड बाजा की दुकान	200.00
173	खड्डी (हस्तचलित प्रत्येक)	200.00
174	सर्विस स्टेशन अथवा वर्कशॉप	1000.00
175	घड़ी या रेडियो की दुकान	200.00
176	टेलीविजन बेचने की दुकान	500.00
177	टेलीविजन आदि मरम्मत की दुकान	200.00
178	लोहे की कतरन आदि का भण्डारण	500.00
179	फल, सब्जी आदि की दुकान	200.00
180	कपड़ा सिलाई की दुकान	300.00
181	घी या तेल की दुकान	400.00
182	तेल का मेटो डीलर	500.00
183	लकड़ी की टाल	400.00
184	टीन के बक्से, आलमारी, सन्दूक, टंकी, कुर्सी या मेज आदि की दुकान	600.00
185	स्कूटर, मोटर साइकिल आदि की मरम्मत की दुकान	200.00
186	रेडीमेड गारमेन्ट्स की दुकान	600.00
187	सेनेट्री, पेन्ट, पुट्टी, हार्डवेयर आदि की दुकान	500.00
188	सस्ते गल्ले की दुकान	400.00
189	बिजली मोटर, पंखे, बल्ब, तार आदि समस्त बिजली सम्बन्धी सामान की दुकान	300.00
190	कपड़ा आदि रंगने की दुकान	100.00
191	गैस चूल्हा, पेट्रोमैक्स, स्टोव आदि बेचने या मरम्मत की दुकान	100.00
192	चूड़ियों की दुकान	100.00
193	चश्मों की दुकान	100.00
194	दूध फार्म (मिल्क डेयरी)	300.00
195	मावा बनाने का कार्य करना	300.00
196	भूसी निकालना	100.00
197	दूध से पनीर बनाना	1500.00

सत्यापित

(सुभाष चन्द)
प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत, बागपत

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

1	2	3
		रु0
198	धूप की ढेरी (छोटी)	1000.00
199	धूप की ढेरी (बड़ी)	2000.00
200	गैस सर्विस या गैस गोदाम	4000.00
201	फेरी फोटो या धर्म कांटा	500.00
202	कमीशन एजेन्ट या ट्रांसपोर्ट एजेन्ट	1000.00
203	स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड एजेंसी	2000.00
204	कार, ट्रैक्टर, थ्री व्हीलर एजेंसी	3000.00
205	बस, ट्रक आदि की बाडी बनाना	1000.00
206	लोहे के गेट, जाली या ग्रिल बनाना	500.00
207	अंग्रेजी/देशी शराब की दुकानें	3000.00
208	बीयर की दुकान	3000.00
209	अफीम, गांजा, भांग, ताड़ी, डोडे पोस्त की दुकान	1000.00
210	बैंकेट हाल/लाजिंग हाल	3000.00
211	भूसा या चारे की टाल	500.00
212	शरीर संवर्धन केन्द्र	500.00
213	सार्वजनिक नर्सरी	500.00
214	मुर्गा फार्म	500.00
215	सीमेन्ट, कंक्रीट की जाली, पिलर आदि बनाना	500.00
216	पटाखे/आतिशबाजी बनाना या बेचना	500.00
217	निजी शिक्षण संस्थान/पब्लिक स्कूल जो नर्सरी से कक्षा 5 तक	2000.00
218	जो कक्षा 8 तक	3000.00
219	कक्षा 8 से ऊपर	5000.00
220	उच्च शिक्षण संस्थान डिप्लोमा/डिग्री	15000.00
221	उपरोक्त के अतिरिक्त कोई व्यवसाय या दुकान (छोटी)	400.00
222	उपरोक्त के अतिरिक्त कोई व्यवसाय या दुकान (बड़ी)	1000.00

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, बागपत यह निदेश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो 1000.00 रु0 तक होगा. जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें यह सिद्ध हो जाये कि अपराध करता रहा है तो 50.00 रुपये प्रतिदिन अर्थदण्ड हो सकेगा, अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा, जो 3 माह तक होगा।

देवेन्द्र चौधरी,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

सत्यापित

(सुभाष चन्द)
प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत, बागपत

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner